

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दरभाष:- 0744-2500194
क्रमांक:एफ13()एफसीए/समुवसं/2023/ 5239 दिनांक : 17.10.2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां

विषय: Diversion of 1.872 ha construction of road chorakhari to nayagun via Maheshpur.
(Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/34657/2018)


प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक एफ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/9956 दिनांक 10.10.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर के पत्रांक 7285 दिनांक 22.08.2023 से लगाय गये आक्षेप संख्या 7 एवं 8 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रतियुत्तर पर आपके द्वारा इस कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक एफ 13()एफसीए/समुवसं/2023/3140 दिनांक 14.06.2023 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 7 में आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4-5 अण्डरपास के निर्माण के लिए युक्तियुक्त आधार बताने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु आप द्वारा न तो उक्त पत्र की पालना में उक्त आधार बताया गया न ही संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया यदि प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट दीवार निर्माण वन्यजीव प्रबन्धन की दृष्टि से किया गया है तो यह वन्यजीव प्रबन्धन के सिद्धान्तों के विपरित है। दीवार निर्माण से वन्यजीवों को स्वच्छन्द विचरण में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस उद्देश्य से दीवार निर्माण उचित नहीं है। वन्यजीवों के स्वच्छन्द विचरण हेतु प्रस्तावित सड़क पर उचित स्थानों पर कुछ अण्डरपास दिये जा सकते हैं जिन्हे आप प्रस्तावित रोड का निरीक्षण कर उक्त स्थलों को प्रस्तावित करें। ये अण्डरपास प्रयोक्ता अभिकरण सड़क निर्माण के दौरान स्वयं अपने खर्चे पर तैयार करावें। इस आशय का उल्लेख अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुशंसा पत्र में करें।

अतः उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर के पत्रांक 7285 दिनांक 22.08.2023 में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार जवाब तैयार कर शीघ्र भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा